न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 366 / 2026

चन्द्रकंवर पत्नी मदनसिंह
बनाम
हरचंद पुत्र धर्मा वगैरा

दिनांक 26 .05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05 / 2025 (2025 / 72) में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पो0सं0 1–हरचंद ने अप्रार्थीगण–अपीलांट वगैरा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील चितलवाना स्थित ग्राम चारणीम के ख0नं0 459, 459 / 641 की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर ख0नं0 459, 459 / 641 व ख0नं0 462, 482 के मध्य माठ पर नक्शें में तरमीम अनुसार पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 द्वारा इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी भूमि ग्राम चारणीम के नवीन खाता संख्या 231 के ख0नं0 348, 459, 459 / 641, 57 / 679 की आयी हुई है। जिसके पडौस में अप्रार्थी सं0 1–अपीलांट की भूमि नवीन खाता संख्या 65 के ख0नं0 462 स्थित है तथा अप्रार्थी सं0 2 से 5 की भूमि नवीन खाता संख्या 59 के ख0नं0 355, 57 एवं भूमि अप्रार्थी सं0 7 से 9 की ख0नं0 482 भी आयी हुई है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 व 7 से 9 प्रार्थी के खेत की माठे आये दिन तोडते रहे है। पूर्व में माठे तोडने पर तहसीलदार चितलवाना से पैमाईश

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करवायी गई व हल्का पटवारी द्वारा मौका फर्द तैयार की गई। इसलिए ख0नं0 459, 459/641 की माठे कायम कर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे।

आलौच्य प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के अवकाश में रहते सुनवाई हेतु नियत दिनांक 10.03.26 पर गोला करके अपीलांट की जानकारी के बिना दिनांक 22.01.26 नियत की गई व उस दिन नोटिस मय डाक रसीदे पेश की गई तथा आगामी दिनांक 28.01.26 नियत की गई। दिनांक 28.01.26 को अप्रार्थी सं0 7 से 9 उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता तारीख पेशी में संशोधन की जानकारी के अभाव में उपस्थित नही हो सके, जिनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए जवाब बंद कर दिया गया व प्रार्थी की बहस सुनकर उसी दिन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 10.03.26 को उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली के निस्तारण की जानकारी प्राप्त हुई।

इसी तरह दिनांक 22.11.25 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के आवेदन स्वीकार कर लिया गया व विपक्षी पक्षकार को उसकी प्रति उपलब्ध नही करवायी गई। प्रकरण में अपीलार्थी की तामिली से पूर्ण एक पक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार करवा ली गई, जिस पर सिर्फ प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 के हस्ताक्षर है। जो पत्थरगढी आदेश की आड़ में अपीलांट के खेत के अन्दर बलपूर्वक पत्थरगढी करवाने को आमदा है। प्रकरण में अप्रार्थी सं0 2, 4 व 5 की प्रोपर तामिल नही हुई है तथा सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया। अतः अपील स्वीकार कर विधिविरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। जिसके आधार पर प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना पैमाईश रिपार्ट एवं बिना तहसीलदार के जवाब/रिपोर्ट के पारित कर दिया गया, जबकि यह आज्ञापक है। वकील अपीलांट का यह कथन भी मानने योग्य है कि दिनांक 13.01.26 की आदेशिका में नियत दिनांक 10.03.26 को बदल कर 22.01.26 नियत कर, दिनांक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

28.01.26 को एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी के अभाव में उनकी सुनवाई नही हो सकी। अतः इस स्थिति अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2025 (2025/72) बअनवान हरचंद बनाम चन्द्रकंवर वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 26/5/26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर